

## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12018 निगरानी-6064/2018/शहडोल



श्री राजेश चंद्र मदीया  
विरुद्ध विश्व कृष्ण शर्मा  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 17-10-18  
दि. 8-10-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- छोटे पाव पिता बिहारी पाव
  - मु0 रनिया पति बिहारी पाव
  - पूरन पिता बिहारी पाव
  - मुन्ना पिता बिहारी पाव
  - चन्द्रवती पिता बिहारी पाव
- सभी निवासी ग्राम दूठा टोला, थाना तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.)  
----- निगरानीकर्तागण/ आवेदकगण

बनाम

- रामफली पिता मतीराम पाव
- हजारी पाव पिता सुखनन्द पाव
- सीताराम पिता मोघला पाव
- बालमीक पिता कलुआ पाव
- कौशिल्या पिता बालकरण पाव
- लाला पिता बालकरण पाव
- भारत पिता बालकरण पाव
- जगदीश पिता मैकू पाव
- मूलचन्द पिता मैकू पाव
- रामलाल उर्फ रमाली पिता मोल्ला पाव
- श्यामलाल पिता मोल्ला पाव
- सभी निवासी ग्राम दूठा टोला
- दुअसिया पाव पिता मतीराम पाव पति ईश्वरदीन पाव, साकिन बरही कछार
- मेलाराम पिता मोल्ला पाव, सा0 दूठा टोला
- झूना पिता मोल्ला पाव, पति रामफली पाव सा0 बड़का डोल
- रूना पिता मोल्ला पाव पति भगवानदास पास सा0 बड़का डोल
- कुन्ती पिता मोघला पाव
- बूटी पिता मोघला पाव
- मनिया पत्नी सेऊका पाव
- रामाधार पिता सेऊका पाव

43h

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

20. रामबोध पिता सेऊका पाव
  21. रावती पति परसराम, सा. अमझोर
  22. रामसिया पिता लखन पाव
  23. रामसजीवन पिता लखन पाव
  24. बन्नू पिता छोटा पाव
  25. कुलझरिया पत्नी रमई पाव
  26. रमकी पत्नी रामसुफल पाव
  27. सन्ता पिता रामसुफल पाव
  28. राजू पिता रामसुफल पाव
  29. प्रेम पिता रमई पाव
  30. सुइला पिता रमई पाव
  31. मेलाराम पिता मोघला पाव
- सभी निवासी ग्राम ठूठा टोला, थाना तहसील  
जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.)

— उत्तरार्थी / अनावेदकगण

32. म. प्र. शासन

— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959  
न्यायालय आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के राजस्व प्र. क्र.  
123/अपील/2015-16 आदेश दिनांक 17.09.2018 के विरुद्ध  
निगरानी प्रस्तुत है ।

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :-

- (1) यह कि, ग्राम ठूठा टोला, पटवारी हल्का लखनौटी, राजस्व निरीक्षक मण्डल व तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) में स्थित खाता क्रमांक 47 किला 3 रकवा 4.201 हैक्टेयर भूमि एवं खाता क्रमांक 48 किला 15 रकवा 4.133 हैक्टेयर भूमि आराजी खसरा नं. क्रमांक 19/0.817 है0, 20/0.061 है0, 29/0.024 है0, 63/0.405 है0, 67/0.324 है0, 99/0.611 है0, 126/0.409 है0, 139/0.061 है0, 169/0.061 है0.

(11)


(11)


## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ट

प्रकरण क्रमांक निग./6064/2018/शहडोल/भू.रा.

छोटे पाव/रामफली

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर  |
|------------------|---|---|
| 02/11/18         | <p>आवेदक के अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित हुए। उन्होने शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण को लिंक के आधार पर सुने जाने का निवेदन किया। अनावेदक शासन के अधिवक्ता की ओर से श्री सिराज कुरैशी उपस्थित हुए। उभय पक्ष को कायमी पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आयुक्त, शहडोल संभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 17/09/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। नवीन संशोधित भू- राजस्व संहिता दिनांक 25/09/18 से लागू हो गई है जिसमें धारा-50 सहपठित धारा-54(ए) के अंतर्गत संभागीय आयुक्त के अंतिम आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रकरण को सुने जाने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है</p> <p>आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रकरण संशोधित संहिता के दिनांक 25/09/18 पृवृत्त हो जाने के उपरांत दिनांक 08/10/18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, लिहाजा इस निगरानी प्रकरण में सुनवाई किये जाने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से इसे अग्राह्य किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड है।</p> | <p style="text-align: right;"> <br/>           सदस्य 2/11/18         </p> |

  
 2/11/18